सबका सम्मान सबका उत्थान

नीलम साहनी

विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों का विकास करने के लिए क्षेत्र आधारित तरीका अपनाया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छता, आजीविका और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में वित्त की कमी की भरपाई केंद्र द्वारा करवाकर मुख्य रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं को एक साथ लागू करते हुए अनुसूचित जाति बहुल गांवों के एकीकृत विकास की परिकल्पना है। यह कार्यक्रम उन गांवों में चलाया जा रहा है, जहां 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जातियों की है

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हमारे संविधान के अनुरूप ही ऐसा समावेशी समाज बनाना चाहता है, जहां हमारी आबादी के सबसे वंचित एवं पिछड़े वर्ग गरिमा और गौरव भरा जीवन जी सके एवं राष्ट्र की मानव पूंजी में सक्रिय सहयोग कर सके। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों का आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण हमारी जिम्मेदारी है। हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के बारे में स्पष्ट एवं मुखर होना तथा सरकार की सभी नीतियों एवं कार्यक्रमों में उनकी चिंताओं को सामने रखना इस विभाग के सबसे प्रमुख कार्यों में से एक है।

आबादी के ये वर्ग सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की दृष्टि से महत्वपूर्ण लक्षित समूह हैं और इसी कारण ग्राम स्वराज अभियान, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, अंत्योदय अभियान जैसे देशव्यापी अभियान आरंभ किए गए हैं।

अनुसूचित जाति विकास

अनुसूचित जाति के शैक्षिक सशक्तीकरण का अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए विभाग के बजट का एक बड़ा हिस्सा छात्रवृत्ति के मद में जाता है और लक्षित समूह के भीतर इसके वितरण में काफी सफलता मिली है। अनूसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) विभाग की प्रमुख योजना है, जो 1944 से जारी है और अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा कदम है। हर वर्ष मैट्रिक अथवा माध्यमिक से ऊपर की शिक्षा पाने वालों से लेकर पीएचडी करने वालों तक लगभग 55 लाख छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। 2014 से 2018 के बीच 2,29,30,654 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिली है और 10,388 करोड़ रुपए की राशि इस्तेमाल की गई है। हमें यकीन है कि लक्षित समूहों के साक्षरता स्तरों, शिक्षा बीच में ही छोड़े जाने की दर, उच्च शिक्षा में हिस्सेदारी और उत्कृष्टता हासिल करने एवं राष्ट्र की सेवा के लिए मानव पूंजी तैयार करने में सकारात्मक परिणाम आए हैं। हाल ही में कैबिनेट ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 8737 करोड़ रुपए के बकाए की अदायगी मंजूर की है और 2018-19 में इसके लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अनुसूचित जाति

लक्षित आबादी के आंकड़े

- 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में 16.6 प्रतिशत अनुसूचित जातियां हैं।
- देश के 522 जिलों में मौजूद 46859 गांव ऐसे हैं, जहां 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जातियों की है।
- आजादी के बाद से ओबीसी जातियों की कोई गणना नहीं हुई है। मंडल आयोग के अनुमानों के मुताबिक 52 प्रतिशत आबादी ओबीसी वर्ग से है, जबकि एनएसएसओ ने 2009-10 के आंकड़ों में यह संख्या 41.7 प्रतिशत होने का अनुमान जताया है।
- वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10.36 करोड़ है।
- कुल आबादी के लगभग 1 प्रतिशत लोग नशे की लत के शिकार बताए जाते हैं।

लेखिका भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव हैं। ईमेल: secywel@nic.in

के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की अन्य योजनाएं प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप, श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन के लिए टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम और यूजीसी के साथ मिलकर राष्ट्रीय फेलोशिप योजना हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों की संरक्षा एवं गरिमा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है। मौजूदा सरकार ने 14 अप्रैल, 2016 से इसे काफी मजबूत बनाया है। इसमें किए गए संशोधन मोटे तौर पर क्रूरता के 47 अपराधों के लिए राहत राशि के प्रावधानों, राहत राशि के भुगतान के चरणों को तार्किक बनाने, अपराध की प्रकृति के आधार पर 85,000 रुपए से लेकर 8,25,000 रुपए तक की राहत राशि, उचित राहत राशि का भुगतान सात दिन के भीतर करने और मुकदमा समय से आरंभ करने के लिए साठ दिन के भीतर जांच पूरी करने एवं आरोपपत्र दाखिल करने से संबंधित हैं।

यह विभाग योजनाओं को सीधे लागू करने के अलावा 'अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन' (एडब्ल्यूएससी) पर भी नजर रखता है, जो अनुसूचित जाति सब प्लान का नया नाम है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) का विचार 1979-80 से ही चल रही है ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं से आनुपातिक संसाधनों का मिलना सुनिश्चित हो सके। पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा जारी अनुसूचित जाति सब प्लान (एससीएसपी) के संयुक्त दिशानिर्देशों के अनुसार सभी राज्यों/मंत्रालयों/विभागों को अपनी योजना राशि में से राज्य/देश में अनुसूचित जाति के जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में राशि एससीएसपी के तहत देनी होगी। (2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में 16.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति की है) इसका नाम 2017 में बदलकर 'अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन' (एडब्ल्यूएससी) कर दिया गया। एडब्ल्यूएससी के तहत आवंटन 2015-16 में 30850.88 करोड़ रुपए था, जिसे 83.52 प्रतिशत बढ़ाकर 56618.50 करोड़ रुपए कर दिया गया। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप के अनुसार आर्थिक, भौतिक एवं परिणाम आधारित निगरानी सूचकांकों के बारे में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से ऑनलाइन जानकारी लेने के लिए 2017 में विभाग ने एक वेब पोर्टल (e-utthaan.gov.in) तैयार किया है। वित्तीय निगरानी को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ जोड़ा गया है और इस प्रकार वास्तविक समय में यानि रियल टाइम आधार पर निगरानी की जाती है। भौतिक उपलब्धियों के मामले में सभी नोडल अधिकारियों को लॉग-इन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे जानकारी को सीधे पोर्टल में जमा कर सकें।

शिक्षा के अलावा विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों का विकास करने के लिए क्षेत्र आधारित तरीका अपनाया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छता, आजीविका और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में वित्त की कमी की भरपाई केंद्र द्वारा करवाकर मुख्य रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं को एक साथ लागू करते हुए अनुसूचित जाति बहुल गांवों के एकीकृत विकास की परिकल्पना है। यह कार्यक्रम उन गांवों में चलाया जा रहा है, जहां 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जातियों की है। विकास विभाग के भीतर ही मौजूद संसाधनों को बढ़ाने तथा उन्हें अन्य विभागों एवं मंत्रालयों के पहले से जारी प्रयासों के साथ मिलाने के लिए काम कर रहा है।

पिछड़े वर्गों का विकास

पिछड़े वर्ग भी महत्वपूर्ण लक्षित समूह हैं, जिनके कल्याण के लिए कुल आवंटन 2018-19 में 41.03 प्रतिशत बढ़ाकर 1747 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2017-18 में यह 1237.30 करोड़ रुपए था। छात्रवृत्ति की

योजनाएं पिछड़े वर्ग की आबादी के लिए भी सरकार की प्रमुख योजना रही है, जिनमें प्री एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तथा राष्ट्रीय फेलोशिप मुख्य हैं।

कौशल विकास महत्वपूर्ण योजना है और उसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के जरिए चलाया जा रहा है। आगे का रास्ता बुनियादी बातों पर चलकर इस समूह की उद्यमिता संबंधी क्षमताओं के विकास की ओर जाता है ताकि रोज़गार का सृजन भी हो सके। मौजूदा सरकार चाहती है कि ओबीसी की जरूरतें पूरी करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड भी शुरू हो।

सामाजिक सुरक्षा

महत्वपूर्ण मगर अक्सर अनदेखा किया जाने वाला वर्ग वरिष्ठ नागरिकों का भी है, जिनकी संख्या और बढ़ती उम्र में निर्भरता का अनुपात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उम्र के संबंध में बदलती स्थितियों, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों, सामाजिक मूल्य व्यवस्था तथा तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए संशोधित नीति तैयार की जा रही है। **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम** की वर्तमान नीतियों के अंतर्गत खर्च के नियम 1 अप्रैल, 2015 से 110 प्रतिशत तक बढ़ा दिए गए थे, जिन्हें 1 अप्रैल, 2018 से एक बार फिर 104 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह 1 अप्रैल, 2015 से पहले के खर्च के नियमों में 288 प्रतिशत तक (वृद्धाश्रम के लिए 5.42 लाख रुपए से बढ़ाकर 21.6 लाख रुपए) का इजाफा कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट, सहायक एवं योग शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। वृद्धाश्रमों के पंजीकरण, मानकीकरण तथा रेटिंग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

जीवन जीने में सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत कुल 292 जिले चुने गए हैं, 52 जिलों में मूल्यांकन शिविर लगाए गए हैं और 39 जिलों में वितरण शिविर लगे हैं, जिनसे 43865 बजुर्गों को लाभ हुआ है। गरीबी की रेखा से नीचे के बुजुर्गों को कुल 99431 उपकरण प्रदान किए गए हैं।

मद्यपान एवं नशा व्यसन उन्मूलन योजना के अंतर्गत विभाग की सहायता से चलाए जा रहे नशा निवारण केंद्रों के लिए खर्च के प्रावधान में 1 अप्रैल, 2018 से 30 प्रतिशत वृद्धि की गई। इन केंद्रों में रसोइयों, पूर्णकालिक चिकित्सकों तथा अतिरिक्त चौकीदारों की व्यवस्था भी की गई है।

नशे के शिकार हुए व्यक्तियों को पहचानने के लिए पहली बार राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया गया है। इस सर्वेक्षण में 185 जिले, 1.5 लाख घर और 6 लाख लोग शामिल रहे हैं। सर्वेक्षण पहले ही शुरू हो चुका है और जल्द ही खत्म होने की अपेक्षा है।

हाथ से मैला उठाने वालों का पुनर्वास

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष में विभाग हाथ से मैला उठाने वालों के साथ अतीत में हुए अन्याय तथा अपमान को मिटाने एवं गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में उनका पुनर्वास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 18 राज्यों के 170 चिह्नित जिलों में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा राज्य सरकार तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हाथ से

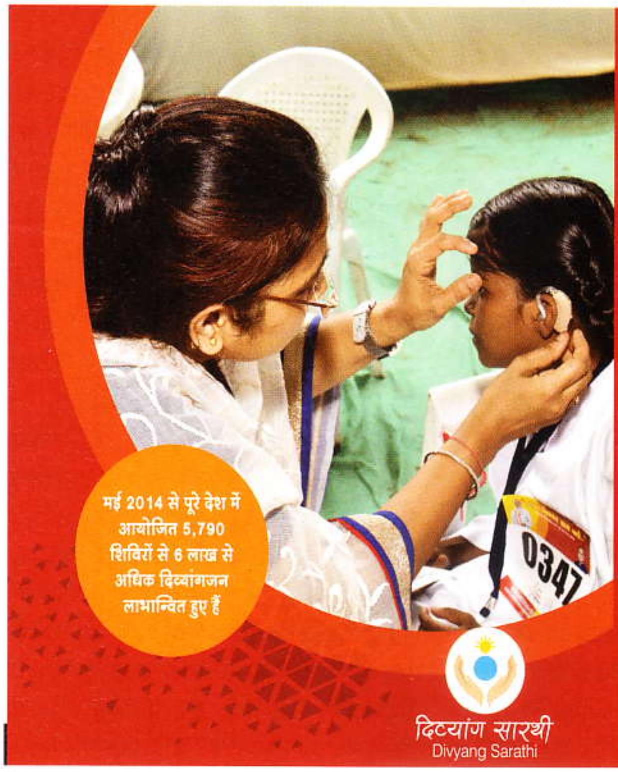

दिव्यांग भाइयों और बहनों को मिले अधिक अवसर

- सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया। इसका सकारात्मक प्रभाव होगा
- दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए शिविरों के आयोजन में अप्रत्याशित वृद्धि। मई 2014 से पूरे देश में आयोजित 5,790 शिविरों से 6 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं

शिक्षित भारत, सक्षम भारत

- दिव्यांग विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 11 नवंबर, 2014 को छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई
- 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति राशि ट्यूशन फीस भुगतान के लिए और 20 हजार रुपये की राशि आकस्मिक भत्ते के रूप में दी गई, योजना के तहत प्रतिवर्ष 1,000 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी
- इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (आई.एस.एल.आर.टी.सी) स्थापित

मैला उठाने वालों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है, उसका संयोजन किया गया है और निगरानी भी की गई है। अब तक 125 जिलों में सर्वेक्षण शिविर पूरे हो चुके हैं और 5365 लोगों की पहचान हाथ से मैला उठाने वालों के रूप में की जा चुकी है। हाथ से मैला उठाने वाले जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय सर्वेक्षण में चिह्नित किया जाएगा, उसे 40,000 रुपए की एकबारगी नकद सहायता दी जाएगी और बाद में उसके पुनर्वास के उपाय किए जाएंगे।

इसके अलावा एनएसकेएफडीसी प्रशिक्षण, पुनर्वास तथा जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 10,000 सफाई कर्मचारियों तथा मैला उठाने वालों को सुरक्षित, स्वास्थ्यपूर्ण एवं मशीन द्वारा सफाई का प्रशिक्षण देने के लिए रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) कार्यक्रम का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी नगरपालिकाओं में म्युनिसिपल इंजीनियरों, सफाई निरीक्षकों, ठेकेदारों आदि के साथ कार्यशालाएं आयोजित कर 'हाथ से मैला उठाने पर निषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

नगर निगमों और नगर पालिकाओं के साथ मिलकर काम करना इस योजना के लिए अनिवार्य है। सफाई से संबंधित वाहनों एवं उपकरणों की खरीद के लिए पंचायतों एवं नगर निगमों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे वाहनों एवं उपकरणों की खरीद के लिए सफाई कर्मचारियों के स्वयं सहायता समूहों को कर्ज की सुविधा भी दी जाएगी। इससे सफाई कर्मचारी हाथ से सफाई के खतरों से भी बच जाएंगे क्योंकि वह असुरक्षित एवं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है।

निगम

इस विभाग के पास तीन वित्त विकास निगम – राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास

वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां

क्र.	योजना/परियोजना का नाम	2014-2018	
		वित्तीय (करोड़ रु.)	भौतिक लाभार्थी
1	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम		
	(अ) ऋण आधारित योजनाएं	1729.07	333245
	(आ) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	52.12	62159
	कुल	1781.19	395404
2	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम		
	(अ) सामान्य ऋण योजना	440.88	41645
	(आ) लघु ऋण योजना	176.91	42890
	(इ) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	50.36	35017
	कुल	668.15	119552
3	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम		
	(अ) सामान्य ऋण योजना	732.58	132124
	(आ) लघु ऋण योजना	734.50	531870
	(इ) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	59.78	57274
	कुल	1526.86	721268

निगम (एनबीसीएफडीसी), एनएसकेएफडीसी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) हैं।

ये निगम अलाभकारी कंपनियां हैं, जिनका उद्देश्य लक्षित समूहों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा आजीविका, कौशल विकास एवं स्वरोज़गार के उपक्रमों में उनकी सहायता करना है। इस मामले में निगम सरकार की ही विस्तारित शाखा की तरह काम करते हैं।

डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी) और डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक (डीएएनएम)

डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए विभाग ने डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी) की स्थापना की है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 7 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में किया। केंद्र डॉ. अंबेडकर की शिक्षाओं एवं दृष्टिकोण के प्रसार में प्रमुख भूमिका अदा करेगा और सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा। यह समावेशी वृद्धि एवं उससे संबंधित सामाजिक-आर्थिक विषयों के लिए विचार समूह (थिंक टैंक) की तरह काम करेगा।

डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक (डीएएनएम) का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के अलीपुर रोड पर 13 अप्रैल, 2018 को किया। यह डॉ. अंबेडकर के जीवन एवं काल के बारे में संग्रहालय है। संग्रहालय में रोज अच्छी संख्या में दर्शक आते हैं।

निष्कर्ष

विभाग जन कल्याण को बढ़ावा देने में सामाजिक क्रम सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 38 में किए गए वायदे को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो इस सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के दिशानिर्देशक सिद्धांत के अनुरूप भी है। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब इस विभाग की लक्षित जनसंख्या, वंचित एवं कमजोर वर्ग अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में सक्षम हो पाएंगे। ❑

मन की बात

25 मार्च, 2018 (A broadcast by the Prime Minister)

- डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़े वर्ग से जुड़े मुझ जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं.
- उन्होंने हमें दिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए यह ज़रुरी नहीं है कि बड़े या किसी अमीर परिवार में ही जन्म हो बल्कि भारत में ग़रीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं.